न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0) मनेन्द्रगढ़
जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0)

रा0प्र0क0 202505330400031 / अ–62 /
वर्ष 2024–25, ग्राम शंकरगढ़

सोनिया बाई पति कमल सिंह,
निवासी जेल कॉलोनी चैनपुर
तहसील–मनेन्द्रगढ़
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0) .... **आवेदिका**

विरूद्ध

छत्तीसगढ़ शासन ....**अनावेदक**

आदेश

(पारित दिनांक 16 / 07 / 2025)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका सोनिया बाई पति कमल सिंह, निवासी जेल कॉलोनी चैनपुर, तह0 मनेन्द्रगढ़, जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) द्वारा ग्राम शंकरगढ़ तह0 मनेन्द्रगढ़ स्थित भूमि खसरा नं0 215 रकबा 0.8100 हे0 पर एक पुराना सरई का सूखा पेड़ जीर्ण–षीर्ण होकर टूट–टूटकर गिर रहा है तथा गम्भीर हादसा होने की प्रबल संभावना होने के कारण पेड़ कटवाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र पेष किया गया है।

न्यायालय में आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वनपरिक्षेत्राधिकारी मनेन्द्रगढ़ से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। वनपरिक्षेत्राधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ परिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से जांच प्रतिवेदन सह पंचनामा व प्रजातिवार वृक्षों की गणना सहित प्रतिवेदन प्राप्त, जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि ग्राम शंकरगढ़ स्थित भूमि ख0नं0 215, रकबा 0.8100 हे0 पर एक पुराना साल का सूखा पेड़ जीर्ण–शीर्ण होकर टूट–टूटकर गिर रहा है तथा गम्भीर हादसा होने की प्रबल संभावना होने के कारण पेड़ कटवाना चाहता है। वृक्ष का मौका जांच सत्यापन के दौरान वृक्ष का नाप–जोख किया गया। उक्त आवेदित वृक्षों का नाप–जोख कर प्रजातिवार वृक्ष का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	ग्राम	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों का माप / छाती की गोलाई	हालत
1	शंकरगढ़	साल	2.20 cm	अ0ई0 सूखा
	योग – 01 नग साल			

प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी मनेन्द्रगढ़, परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि ग्राम शंकरगढ़ स्थित भूमि ख0नं0 215, रकबा 0.8100 हे0 पर एक पुराना साल का सूखा पेड़ जीर्ण–शीर्ण होकर टूट–टूटकर गिर रहा है तथा गम्भीर हादसा होने की प्रबल संभावना होने के कारण भविष्य में जान–माल की हानि की संभावना के कारण जनहित में वृक्षों को कटवाने की अनुमति चाहता है।

16/07/2025

अतः छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240, 241 के तहत् ग्राम शंकरगढ़ स्थित भूमि ख0नं0 215, रकबा 0.8100 हे0 पर कुल 01(एक) पुराना साल का सूखा पेड़ वृक्षों को निम्नांकित शर्तों के अधीन वन विभाग के देख–रेख में काटने की अनापत्ति/अनुज्ञा दी जाता है।

शर्ते

1. छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240, 241 के तहत् एवं छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2022 के नियम 4 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, वृक्षों की कटाई कर सकेगा।
2. उपरोक्त वर्णित वृक्षों की कटाई के दौरान आम–जनता के निस्तारी एवं उनके दिन–चर्या की सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आवागमन आदि सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं लोक न्यूसेंस की स्थिति निर्मित न हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखा जावें।
3. पेड़ों को काटने के पूर्व क्षेत्र की विद्युत लाईन को सुरक्षित तरीके से हटाया जावे। आपस पास के रहवासियों को विद्युत बाधित करने की सूचना दी जावे तथा विद्युत विभाग का दल भी मौजूद रहे।
4. वृक्षों की कटाई उपरांत वन अधिनियम के तहत् लकड़ी की राशि शासकीय खजाने में जमा कराई जावें।
5. वृक्षों की कटाई की कार्यवाही का आवश्यकतानुसार वीडियोंग्राफी अथवा फोटोग्राफी कराई जावें तथा खर्च व मजदूरों के पारिश्रमिक आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।
6. काटे गये वृक्षों के एवज में 10 गुना पेड़ वन विभाग के बताये गये स्थानों पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।
7. वृक्षों को काटते समय किसी प्रकार का जन/हानि न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावें।
8. वन विभाग अपने देख–रेख में वृक्षों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था व विधिक प्रावधान/नियम व शर्तों के अधीन ही वृक्षों की कटाई करेंगे।
9. यदि उपरोक्त वर्णित वृक्षों की कटाई को लेकर किसी भी विधिक प्रावधानों/नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो यह आदेश शून्य माना जायेगा।

आज दिनांक 16/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं घोषित।

16/07/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी(छ0ग0)

पृष्ठा.क्र./2356 /वाचक–1/वृक्ष कटाई/2025

मनेन्द्रगढ दिनांक 16/07/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम व शर्तो का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, छ0ग0 रा0विद्युत वितरण कम्पनी मर्या0, मनेन्द्रगढ़ जिला एम.सी.बी.(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आवेदिका सोनिया बाई पति कमल सिंह, निवासी जेल कॉलोनी चैनपुर, तह0 मनेन्द्रगढ़, जिला एम.सी.बी. (छ0ग0) को सूचनार्थ।

16/07/2025

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी(छ0ग0)